| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| | 133/प्रा. पत्र/23 जगदीश खाती बनाम बलवीर सिंह | |
| 25/2/25 | वकुलाप उपस्थित। बहस हेतु पुनः अवसर चाहा गया। अन्तिम अवसर दिया गया। मिसल वास्ते बहस दिनांक 25/3/25 को पेश हो। | |
| 25/3/25 | वकुलाप उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई। मिसल वास्ते आदेश दिनांक 26/3/25 को पेश हो। | |
| 26/3/25 | वकुलाप उपस्थित। पत्रावली आज आदेश हेतु पेश हुई थी बहस उभयपक्ष पर मनन किये जाने से प्रकट है कि वकील प्रार्थीगण द्वारा कथन किया कि दिनांक 16/7/1983 को अप्रार्थीगण बलवीर सिंह व सुखदेव सिंह द्वारा खातेदार किशना खाती से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खसरा सं. 630 मिन रकबा 19 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम दौलाड़ा की भूमि क्रय की गई थी। प्रार्थीगण उक्त खातेदार किशना के भाई बाला के पुत्र हैं। खातेदार किशना ला औलाद फोत हो चुका है इस कारण किशना की सम्पत्ति बाला के पास आ गयी। अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. पेश किया था, जिसमें खातेदार किशना के वारिस प्रार्थीगण को पक्षकार बनाये बिना तथा सुने बिना उक्त आदेश दिनांक 13.9.06 पारित कर दिया, जो प्रभावशून्य आदेश होने से खारिज होने योग्य है, उक्त आदेश की | |

जिला कलेक्टर; बून्दी

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व अहकाम व तारीख हुक्म की तामील में जारी हुआ |
|---|---|---|
| | 133/प्रा. पत्र/23 जगदीश खाती बनाम बलबीर सिंह | |
| | जानकारी प्रार्थीगण को तत्समय नहीं थी, दिनांक 03/08/23 को हल्का पटवारी के बताने पर उक्त तथ्य की सर्वप्रथम जानकारी हुई। दिनांक 11/8/23 को नकल प्राप्त कर प्रार्थनापत्र अन्दर अवधि पेश किया गया है। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र स्वीकार कर उक्त निर्णीत प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने तथा एकपक्षीय पारित आदेश दिनांक 13/9/2006 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। | |
| | पैरोकार सरकार की आपत्ति रही कि प्रार्थीगण द्वारा जिस निर्णय दिनांक 13/9/06 के विरुद्ध दिनांक 28/8/23 को यह प्रार्थना पत्र 17 वर्ष बाद पेश किया गया, उसके बारे में अत्यधिक विलम्ब का कोई कारण अंकित नहीं किया गया। इसलिए प्रार्थनापत्र मियाद बाहर पेश किये जाने से खारिज किया जावें। प्रार्थीगण मूल प्रकरण में पक्षकार नहीं होने के बावजूद उनकी ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे वे विवादित आराजी के हितबद्ध पक्षकार प्रमाणित हो सके। पूर्व में निर्णीत प्रकरण में प्रार्थीगण आवश्यक पक्षकार नहीं होने से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. विधिसम्मत नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जावें। | |
| | न्यायालय द्वारा पत्रावली पर जिला अभिलेखागार से तलब मूल पत्रावली प्रार्थना पत्र सं. 54/2005 निर्णय दिनांक 13/9/2006 का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट है | |

जिला कलेक्टर, बून्दी

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 133/प्रा॰पत्र/23 जगदीश खाती बनाम बलवीर सिंह | |
| | कि ग्राम दौलाड़ा की आराजी खसरा संख्या 630 मिन रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा को खातेदार किशना द्वारा गुरुदीप सिंह, बलवीर सिंह एवं सुखदेव सिंह को दिनांक 16/7/83 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से बेचान किया गया। जिसका नामा॰ सं॰ 392 दिनांक 15/9/97 क्रेतागण के पक्ष में तस्दीक किया गया, किन्तु इसका जमाबंदी में अमल नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण द्वारा सरकार के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 15 भू.रा.दी. इस न्यायालय में पेश किया गया, जिसे आंशिक स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार बून्दी को वास्ते जाँच व सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था। प्रार्थीगण द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 13/9/06 को निरस्त किये जाने हेतु हस्तगत प्रार्थनापत्र काफी विलम्ब से दिनांक 28/8/24 को पेश किया गया, जिसके विलम्ब के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा कोई संतोषजनक कारण प्रा॰पत्र धारा 5 में अंकित नहीं किया गया। ऐसे में प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाकर हस्तगत प्रार्थनापत्र मियाद बाहर पेश होने से निरस्त किया जाता है। जमाशुदा मूल पत्रावली वापस अभिलेखागार में जमा करवाई जावें। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावें। | |
| | जिला कलेक्टर, बून्दी | |